Date 26-03-2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

<u>थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव के लिये ले जायी जा रही 30 पेटी अवैध शराब (कीमत करीब 02 लाख रूपये) तथा घटना में प्रयुक्त कार सहित, 02 अभि0गण गिरफ्तार।</u>

आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब तथा शराब माफियाओं के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 25.03.2021 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान श्रवणपुर नहर के पास 01 गाडी सैन्ट्रो नम्बर यूपी 15 डब्लू 6264 में रखी 30 पेटी अवैध शराब सहित 02 व्यक्ति 1– निपेन्द्र कुमार 2– करण सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अन्य 02 साथी साथ मे चल रही एक मारूति 800 गाडी से फरार हो गये। उक्त सम्बन्ध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 159/21 धारा 272,273,419,420 भादवि व 60(1) 60/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण ने दूसरी गाडी के बारे में बताया कि गाडी नंम्बर यूपी 07 एच 1062 जो मिन्टू उर्फ सचिन पुत्र बलवीर सिंह निवासी मदेली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर चला रहा था तथा साथ मे विपिन पुत्र वीरसिंह निवासी गजरौला पैमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर था। हम चारों लोग मिलकर अपमिश्रित शराब का निर्माण कर पव्वों मे भरकर उसपर फर्जी लेबल लगाकर काफी समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहे है। उक्त शराब जो किसी फैक्ट्री की बनी हुई नहीं है इसे हम लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से अपमिश्रित करके तैयार किया गया है। फाईटर मार्का के जो लेबल इस पर चिपके हुए है उनपर बैच नम्बर नही है। इस कारण शराब आसानी से बिक जाती है। आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शराब की मॉग बढ जाने से हम लोगो ने काम को और अधिक बढा दिया है। हम लोग शराब को पंचायत चुनाव के उम्मीदवारो को बेच देते है और पैसो को आपस मे बॉट लेते है। जिससे हम लोगो को काफी आमदनी हो जाती है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1–एक कार सैन्ट्रो नम्बर यू0पी0 15 डब्लू 6264

2–30 पेटी अपमिश्रित शराब (कीमत करीब 02 लाख रूपये)

3–दो मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:–</u>

1 निपेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह नि0 मुजफराबाद उर्फ उगरावाला कोतवाली देहात बिजनौर

2 करन सिंह पुत्र तुलसी सिहं नि0 दाउतपुर नन्हेडा थाना नजीबाबाद बिजनौर।

<u>अपराधिक इतिहास अभि0 करन सिंह</u>

1 अ0सं0 518/10 धारा 272/273 भादवि व 60/62 आबकारी अधि0
2 अ0स0 312/11 धारा 60 आबकारी अधि0
3 अ0सं0 508/11 धारा 272/273 भादवि व 60/62 आबकारी अधि0
4 अ0स0 30/12 धारा 3(1) गुण्डा अधि0
5 अ0सं0 537/18 धारा 420 भादवि व 60/63/72 आबाकरी अधि0
6 अ0सं0 629/18 धारा 60/63 आबकारी अधि0
7 अ0सं0 630/18 धारा 25 शस्त्र अधि0
8 मु0अ0सं0 159/2021 धारा 60(1), 60/72 आबकारी अधि0 एवं 272, 273, 419, 420 भादवि

<u>अपराधिक इतिहास अभि0 निपेन्द्र कुमार</u>

1 मु0अ0सं0 159/2021 धारा 60(1), 60/72 आबकारी अधि0 एवं 272, 273, 419, 420 भादवि

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी टीमः–</u>

1. प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह,
2. व0उ0नि0 राजीव चौधरी थाना नजीबाबाद
3. उ0नि0 विजय कुमार थाना नजीबाबाद
4. का0 313 समीर थाना नजीबाबाद
5. का0 1615 आशीष त्यागी थाना नजीबाबाद
6. 1609 सतेन्द्र शर्मा थाना नजीबाबाद
7. का0 1198 सन्दीप कुमार थाना नजीबाबाद

*-

<u>थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय अफजलगढ के निकट पर्यवेक्षण मे थाना शेरकोट पुलिस द्वारा दिनांक 25/26.03.21 को मुखबिर की सूचना पर खौ नदी व शमशान के बीच मे सिंचाई विभाग के पुराने बने कमरे मे अवैध शस्त्र बनाते हुये मय अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित अभियुक्तगण 1. सुदीप सिह उर्फ इक्कू नि0 मौ0 जाहेडी कस्बा व थाना जसपुर जिला उधमसिह नगर 2. अमन भारद्वाज उर्फ मुण्डा पुत्र रणबीर सिह नि0 ग्राम चकरपुर थाना बाजपुर जिला उधमसिह नगर को गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 – 46/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। जिनके विरुद्ध पूर्व मे भी जनपद में तथा अन्य जनपद मे कई मुकदमे पंजीकृत है।

गिरफ्तार किये गये अभि0 का नांम व पता –

1. सुदीप सिह उर्फ इक्कू पुत्र अमर सिह नि0 मौ0 जाहेडी कस्बा व थाना जसपुर जिला उधमसिह नगर।
2. अमन भारद्वाज उर्फ मुण्डा पुत्र रणबीर सिह नि0 ग्राम चकरपुर थाना बाजपुर जिला उधमसिह नगर।
3. **बरामदगी का विवरण – कुल 26 तमन्चे नाजायज व शस्त्र बनाने के उपकरण**
   1. 06 तमन्चे 315 बोर , 01 तमन्चा 12 बोर बने हुये।
   2. 11 तमन्चे 315 बोर , 8 तमन्चे 12 बोर अद्धबने हुये।
   3. शस्त्र बनाने के उपकरण - 08 नाल 12 बोर , 11 नाल 315 बोर ,14 बट की चाप ,17 स्प्रिग ,18 पैच ,03 रेटी , गैस सिलेण्डर छोटा -01 , ग्राईडर मशीन -01,ग्रेडर ब्लैड-05 , आरी -01 , आरी ब्लेड लोहा -4 ,हथौडी - 3 , प्लास -01 पेचकस छोटे बडे -4 ,सिंडासी -02 ,रेगमार के पट्टे -06 , खोखा 12 बोर 2 , खोखा 315 बोर -01 ,छेनी लोहा-2 ,लोहे की प्लेट -01 ,लोहे की राड -03 ,लाईटर- 01 ,ट्रेगर नुमा पत्ती -7 ,लोहे की पत्ती 18 , लालटेन -01 ,पल्ली -01
   4. 01 मो0साईकिल अपाचे ब्लैक कलर बिना नम्बर प्लैट।

आपराधिक इतिहास सुदीप सिंह उपरोक्त -

1. मु0अ0स0- 39/16 धारा 392/411 भादवि थाना धामपुर जिला बिजनौर
2. मु0अ0स0- 418/16 धारा 392/411 भादवि थाना धामपुर जिला बिजनौर
3. मु0अ0स0- 404/16 धारा 356 भादवि थाना धामपुर जिला बिजनौर
4. मु0अ0स0- 783/19 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर
5. मु0अ0स0- 788/19 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना को0शहर जिला बिजनौर
6. मु0अ0स0- 790/19 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना को0शहर जिला बिजनौर
7. मु0अ0स0-46/21 धारा 5/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0-198/16 धारा 25 आम्स एक्ट थाना बाजपुर जिला उधमसिह नगर

आपराधिक इतिहास अमन भारद्वाज उपरोक्त-

1.मु0अ0स0-46/21 धारा 5/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0-273/16 धारा 323/504/506 भादवि थाना बाजपुर जिला उधमसिह नगर
3. मु0अ0स0-345/16 धारा 356 भादवि थाना बाजपुर जिला उधमसिह नगर
4. मु0अ0स0-346/16 धारा 398/401 भादवि थाना बाजपुर जिला उधमसिह नगर

पुलिस टीम का विवरणः -

श्री अनुज कुमार थानाध्यक्ष शेरकोट
उ0नि0 श्री सुशील तोमर
उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिह
का0 21 सत्यवीर सिह
का0 2009 अजय कुमार
का0 191 नीतू सिह
का0 2135 अमित भाटी
का0 1642 राजकुमार

पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशिः- 10,000 रुपये

थाना रेहड पुलिस द्वारा 90 लीटर अवैध शराब, 1100 लीटर लाहन तथा शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आगामी पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रेहड पुलिस द्वारा दिनाँक 25.03.2021 को मुखबिर की सूचना पर वहद जंगल ग्राम फतेहपुर धारा नदी के किनारे पर अवैध कच्ची शराब का निर्माण करते हुए अभियुक्त बलविन्दर पुत्र स्व सुरजीत सिह नि0 ग्राम खैराबाद माडी थाना रेहड जनपद बिजनौर को 04 प्लास्टिक की जरीकैन मे 20-20 ली0 व 01 एक जरीकैन मे 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व 1100 लीटर लाहन जिसको मौके पर ही नष्ट किया गया तथा शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 30/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम बलविन्दर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. बलविन्दर पुत्र स्व सुरजीत सिह नि0 ग्राम खैराबाद माडी थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

1- 04 जरी कैन में 20-20 लीटर व एक जरीकैन मे 10 ली0 अवैध शराब कुल 90 ली0

2- 1100 लीटर लाहन 3- एक पतीली जिसमे नली लगी हुई 4- एक ड्रम खाली – क्षमता 200 ली0 5- एक बाल्टी 6- एक कनस्तर (पीपा) व अन्य शराब बनाने के उपकरण

अपराधिक इतिहास बलविन्दर उपरोक्त

1. मु0अ0सं0101/2020 धारा 60(1) आबकारी एक्ट
2. मु0अ0सं0 7/2021 धारा 60(1) आबकारी एक्ट
3. मु0अ0सं0 23/2021 धारा 60(1) आबकारी एक्ट
4. मु0अ0सं0 30/2021 धारा 60(2) आबकारी एक्ट

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण

1-श्री विजेन्द्र सिह थानाध्यक्ष-रेहड 2.उप नि0 श्री अनिल कुमार राणा 3. HC 60 राकेश कुमार 4.का0 459 किशनपाल 5. का0 भूपेन्द्र कुमार 1866.का0 2092 रोहित कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

थाना मंडावलीः- थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु०अ०स०-223/15 धारा-304 भादवि के गैर जमानती वारंट के अभियुक्त सन्दीप कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम प्रेमपुरी थाना मंडावली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना रेहडः- थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र शमशेर निवासी मोहल्ला भोजपुर कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर को एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 31/21 धारा 4/25आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया

जनपद बिजनौर दिनांक 26-03-2021

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021

आज दिनांक **26.03.2021** को थाना चाँदपुर एंटी रोमियो टीम प्रभारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।

आज दिनांक **26.03.2021** को जनपदीय एंटी रोमियो टीम प्रभारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।